अनवान दयालदास V/S सरकार

मुकदमा नंबर 125 / 2019

तारीख पेशी क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.25	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि विवादित भूमि प्रार्थी की खरीद की गई भूमि है। प्रार्थी विवादित भूमि पर प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ठ "अ" में दर्शाए बरंग लाल अनुसार काबिज काश्त है। विवादित भूमि का मूल खसरा संख्या 181 था जिसको विभाजन के कारण खसरा संख्या 181/8 बना। प्रार्थी का कब्जा काश्त वाला खसरा संख्या 181/8 को राजस्व नक्शे में गलत स्थान पर दर्शाया गया क्योकि जिस स्थान पर खसरा संख्या 181/10 दर्शाया गया है वहां पर खसरा संख्या 181/8 की भूमि है तथा जहां खसरा संख्या 181/8 दर्शाया गया है, वहां खसरा संख्या 181/10 की भूमि है। उसके बाद पुनः राजस्व रेकर्ड में नये खसरे परिवर्तित किये गये जो वर्तमान में नया खसरा संख्या 291/181 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। तहसील समदडी का पुनः सर्वे होने पर ग्राम फूलण के मूल खसरा संख्या 165 के नये खसरा संख्या 165/2 प्रार्थी के खरीदसुदा व कब्जा काश्त सुदा दर्शा दी गई। खसरा संख्या 181/8 अर्थात खसरा सख्या 291/181 को दो भागो में विभाजित कर प्रार्थी के काब्जा काश्त की भूमि को खसरा संख्या 165/2 में गलत तरीके से दर्शा दिया गया है। प्रार्थी के कब्जा काश्त व तरमीम में भिन्नता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 291 / 181 की तरमीम प्रार्थना पत्र के संलग्न माफिक परिशिष्ठ "अ" अनुसार दुरूस्त किया जाने के आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार समदडी ने मौका रिपोर्ट में कथन किया है कि वर्तमान कब्जानुसार प्रार्थी का खसरा संख्या 181 में 0.5850 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथा शेष कब्जा मूल खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 656/644) में स्थित है। उक्त खसरो के पास मूल खसरा संख्या 181 (वर्तमान खसरा संख्या 714/669) की भूमि सरकारी हिस्से में शेष है। उक्त खसरे की ज्यादातर भूमि पहाडी है परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरे की किस्म रेतली है तथा मूल खसरा संख्या 165 (वर्तमान खसरा संख्या 656/644) गै.मु. पहाड है। प्रार्थी को खातेदारी भूमि मूल खसरा संख्या 181 से आवंटन हुई है, परन्तु प्रार्थी का कब्जा काश्त खसरा संख्या, 165 में है। मूल खसरा [illegible] (वर्तमान खसरा संख्या 656/644) की [illegible] प्रार्थी [illegible] भूमि की तरमीम मौका पर कब्जा काश्त अनुसार ही [illegible] लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.21 13:49:06 IST
Reason: SelfAttested